संख्या फिन-जी-सी(17)-3/2020
हिमाचल प्रदेश सरकार
वित्त (बजट) विभाग

प्रेषक

सचिव (वित्त)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

प्रेषित

1. समस्त प्रशासनिक सचिव
   हिमाचल प्रदेश सरकार ।

2. समस्त विभागाध्यक्ष
   हिमाचल प्रदेश ।

दिनांक, शिमला-2   23 फरवरी, 2023

विषय : अनुपूरक अनुदान मांगें (Supplementary Demands)हेतु प्रथम, द्वितीय एवं अंतिम अधिक्य एवं अभ्यर्पण विवरणिका (Excess & Surrender Statement) को समय पर भेजने बारे ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग द्वारा हर वर्ष अधिक्य एवं अभ्यर्पण विवरणिकायें समय पर भिजवाने के लिए सभी विभागों को पत्र लिखा जाता है जिसमे यह भी अनुरोध किया जाता है कि सम्बंधित विभाग विभिन्न लेखा शीर्षों में बचत दर्शाने से पूर्व DDOs से surrender लेना सुनिश्चित करेगा | वित्त विभाग के पत्र संख्या फिन-ए-सी(3)1/2020 दिनांक 18 अगस्त, 2020 के माध्यम से भी इस बारे में निर्देश जारी किये गए हैं | परन्तु विभागों से प्राप्त द्वितीय अधिक्य एवं अभ्यर्पण विवरणिकाओं के अवलोकन से यह देखने में आया है विभागों द्वारा वित्त विभाग के निर्देशों के विपरीत DDOs से surrender लिए बिना ही अधिक्य एवं अभ्यर्पण विवरणिकाओं में बचतें दर्शाई गई हैं जिससे वित्त विभाग इन बचतों का surrender नहीं ले पा रहा है |

चूँकि अनुपूरक अनुदान मांगें तैयार करना एक समयबद्ध प्रक्रिया है इसलिए सभी विभागों से पुनः आग्रह किया जाता है कि वह उनके द्वारा द्वितीय अधिक्य एवं अभ्यर्पण विवरणिका में दर्शाई गई बचतों का DDOs से अविलंब surrender लेना सुनिश्चित करें अन्यथा इस कारण अनुपूरक अनुदान मांगें तैयार करने में हुए विलम्ब के लिए सम्बंधित विभाग पूर्णतया उत्तरदायी होगा जिसके लिए वित्त विभाग द्वारा सम्बंधित अधिकारी/ कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा की जाएगी |

भवदीय

(प्रदीप कुमार) 23/2
उप सचिव (वित्त)
हिमाचल प्रदेश सरकार